न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 208 /2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/329

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रेवताराम पुत्र नगाराम जाति जाट निवासी साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.उदाराम पुत्र हीराराम 2.लिखमाराम पुत्र मेगा 3.आशा पत्नी हुकमाराम 4.किशनाराम पुत्र करनाराम 5.देदाराम पुत्र करनाराम 6.मीरों पत्नी करनाराम 7.मोहनराम पुत्र करनाराम 8.केशाराम पुत्र मगाराम 9.डुंगराराम पुत्र मगाराम 10.तगा पुत्र ईशा 11.लाला पुत्र ईशरा 12.लिखमाराम पुत्र मगा 13.सजनी पत्नी मगाराम 14.टीकुराम पुत्र गोरधन 15.नीम्बाराम पुत्र गोरधन 16.गोधूराम पुत्र गेनाराम 17.जोराराम पुत्र गेनाराम 18.धनाराम पुत्र नाथाराम 19.नवालाराम पुत्र दीपाराम 20.निम्बाराम पुत्र दीपाराम 21.पाबूराम पुत्र बालाराम 22.भंवराराम पुत्र गेनाराम 23.चम्पादेवी पत्नी गेनाराम 24.वेहनाराम पुत्र गेनाराम 25.हड़मानराम पुत्र दीपाराम जातिं जाट निवासी साजियाली रूपजी राजा बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 26.कौजाराम पुत्र रूपाराम 27.गजा पुत्र जोगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

28.चौखाराम पुत्र रूपाराम

29.जालाराम पुत्र किशनाराम

30.देवाराम पुत्र रूपाराम

31.तीजो पत्नी जोगाराम

32.माली पत्नी हुकमाराम

33.हुकमा पुत्र खुमाराम

34.हड़मान पुत्र किशनाराम

जाति जाट निवासी हनुमानपुरा

35.ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजा बेरी

36.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 13/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की सह–खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सह–खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम साजियाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी

71 रकबा 8.7331 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
13/01/2025